मीडिया सेल

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या–272

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का किया जा रहा कड़ाई से अनुपालन

सघन जॉच के लिए 464 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1730 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित

अपराधिक व्यक्तियों के 537 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये, 4716 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये

सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही में 25,11,561 लोग पाबन्द किये गये

पुलिस विभाग द्वारा 9335 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 9432 कारतूस, 3019.32 किलोग्राम विस्फोटक व 530 बम बरामद, अवैध शस्त्र बनाने वाले 178 केन्द्र सीज

दिनांक 13 मई, 2024

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 464 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1730 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 12 मई, 2024 तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 537 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 4716 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार

शांति भंग की आशंका में सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 27,45,476 लोगों को पाबन्द किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये है, जिनमें से 25,11,561 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 9335 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 9432 कारतूस, 3019.32 किलोग्राम विस्फोटक व 530 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 4262 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 178 केन्द्रों को सीज किया गया।

12 मई, 2024 को पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 01 लाइसेंसी शस्त्र का लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 10,074 लोगों को पाबन्द किया गया। इसके अतिरिक्त बिना लाइसेंस के 61 शस्त्र, 86 कारतूस बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 71 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 01 केन्द्र को सीज किया गया।

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-